4/16 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 04/2016 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

A3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19–01–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर का प्रतिवेदन संख्या 77 दिनांक 18.01.2016 शामिल पत्रावली किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र संख्या 5397 दिनांक 14.11.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1– आपके पत्रांक ईआरओ/गंगा/2013/1951 दिनांक 19.12.13 जो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को लिखा गया है उसकी प्रमाणित प्रति

2– बी.एल.ओ. पुस्तिका 2011 के पृष्ट संख्या 4 के बिन्दु संख्या में अंकित नियम कि–संबंधित बूथ लेवल अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपना निर्वाचन संबंधी प्रभार सौंपे बिना किसी भी दशा में अवकाश पर प्रस्थान न करे

उपरोक्त आदेश की पालना में संबंधित बूथ लेवल अधिकारी चुनाव डयूटी के कार्यो का निष्पादन करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी से अनुमति लेकर मुख्यालय छोडकर अन्यत्र प्रस्थान करेगा, अनुमति लेकर जायेगा उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

3– अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़कर जाने पर जिस अधिकारी को का प्रभार सौंपकर जायेगा उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि

4– अवकाश लेकर मुख्यालय छोडकर अन्यत्र जाने पर हेतु कितने दिवस पूर्व अनुमति की आवश्यकता हेतु प्रार्थना पत्र देने की जरूरत है उसकी सूचना व नियमों की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त 4 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा परेशान करने की दृष्टि सेउपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध 25000रूपये जुर्माना लगाया लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 77 दिनांक 18.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1958 दिनांक 09.12.2015 के द्वारा पंजिकृत डाक से समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी अतः अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 1958 दिनांक 09.12.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

> बिन्दु संख्या 1 से 4 में वर्णित सूचना के कुल 137 पृष्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से इस कार्यालय में जमा करावें ताकि आपको प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जा सके। इसके अतिरिक्त यदि आपको दी जाने वाली उक्त सूचना का आप अवलोकन करना चाहे तो किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में कर सकते है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने रजिस्टर्ड पत्र संख्या 1958 दिनांक 09.12.2015 द्वारा निश्चित समय अवधि के भीतर ही अपीलार्थी को सूचित कर दिया था कि वह बिन्दु संख्या 1 से 4 में वर्णित सूचना के कुल 137 पृष्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु 2रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवावे ताकि सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील पत्र में उक्त पत्र दिनांक 09.12.2015 का कोई उल्लेख नही किया गया है और न ही कोई राशि जमा करवाई गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उक्त राशि जमा करवा देवे तो उसे सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर